सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 262 राँची, गुरुवार

10 वैशाख, 1937 (श०)

30 अप्रैल, 2015 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

23 अप्रैल, 2015

कृपया पढ़े:-

1. संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड का पत्रांक-3888 दिनांक 29 अक्टूबर, 2011

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का संकल्प सं0-8037 दिनांक 16 दिसम्बर, 2011

3. श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत भा0प्र0से0, संचालन पदाधिकारी-सह विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड का पत्रांक-192 दिनांक 19 मई, 2012

4. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-11351 दिनांक 04 अक्टूबर, 2012

संख्या- 5/आरोप-1-527/2014 का॰-3794 -- श्री (डॉ.) रविन्द्र सिंह, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 441/03, गृह जिला- गया, बिहार), के प्रबंधक निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद के पद पर कार्यावधि से संबंधित संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक- 3888 दिनांक 29 अक्टूबर, 2011 के द्वारा प्रपत्र- 'क' मे आरोप प्रतिवेदित है ।

प्रपत्र- 'क' में इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गये हैः-

1. माननीय, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा डब्लू0 पी0 (पी0आई0एल0) नं0- 1076/01 में पारित आदेश के अनुपालन में इनके द्वारा गैर जिम्मेदारीपूर्ण रवैया अपनाया गया ।

2. श्री मन्ना मल्लिक, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र में जल संयोग हेतु साक्षात्कार वार्ता की गई। परन्तु इनके द्वारा नियम का हवाला देते हुए संबंधित क्षेत्रों में जलापूर्ति की जिम्मेवारी बी0सी0सी0एल0 की रहने की बात कहते हुए जल संयोग प्रदान करने से इनकार कर दिया गया ।

3. ग्रीष्म काल में कोयलांचल में जल संकट की स्थिति को ध्यान में रखते हुए दिनांक 18 मार्च, 2011 को सम्पन्न बैठक में इसके निमित विस्तृत कार्य योजना तैयार कर दिनांक 23 मार्च, 2011 को बैठक में भाग लेने का निदेश इन्हें दिया गया। परन्तु दिनांक 23 मार्च, 2011 को आयोजित बैठक में मुख्यालय में उपलब्ध रहने के बावजूद भी उन्होंने स्वयं भाग नहीं लेकर वगैर किसी कार्य योजना तैयार किये परियोजना पदाधिकारी को भाग लेने हेतु भेजा गया ।

4. दिनांक 26 अप्रैल, 2011 से खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद के कर्मचारियों के कतिपय मांगों को लेकर हड़ताल पर चले जाने के कारण जलापूर्ति व्यवस्था बुरी तरह कुप्रभावित हो गई। परन्तु इनके द्वारा जलापूर्ति व्यवस्था पुनर्बहाल कराने अथवा हड़ताल को समाप्त कराने का कोई कारगर प्रयास नहीं किया गया ।

उक्त आरोपों के लिए श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0- 8037 दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया एवं श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत भा0प्र0से0, विभागीय जांच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत भा0प्र0से0, संचालन पदाधिकारी-सह-विभागीय जांच पदाधिकारी, झारखण्ड द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित कर जांच प्रतिवेदन पत्रांक- 192 दिनांक 19 मई, 2012 द्वारा समर्पित किया गया है। जांच प्रतिवेदन में श्री सिंह के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। परन्तु आरोप सं0- 1, 3 एवं 4 के संबंध में संचालन

पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के निष्कर्षो से राज्य सरकार द्वारा सहमति व्यक्त नहीं की गई जिसका विवरण निम्नवत् है:-

आरोप सं0-1- बिहार कोल माईनिंग एरिया डेवलपमेंट ऑथोरिटी अधिनियम- 1986 की धारा- 7 के अन्तर्गत कम से कम एक माह की नोटिस देकर अंगीकृत जगह को हटाये जाने की शक्ति प्राधिकार में निहित है। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा- 105 में यह उल्लेख किया गया है कि यदि अधिनियम अथवा इसके अधीन बने नियम या विनियमों में कोई समय निर्धारित नहीं किया गया हो तो उस कार्य को करने के लिए एक माह का समय निर्धारित किया हुआ माना जायेगा। स्पष्टतः अधिनियम की मूल भावना है कि ऐसी कार्रवाईयों को एक माह में पूर्ण कर लिया जाय। इनके द्वारा दिनांक 29 जून, 2010 को कार्य भार ग्रहण किया गया। अतएव माननीय उच्च न्यायालय के निदेशानुसार कार्रवाई के लिए विभिन्न प्रकार के पत्राचार होने तक आप 8-9 महने की अवधि व्यतीत कर चुके थे। इसलिए इनका यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि पूर्व से सूचीबद्ध 453 अनाधिकृत निमार्ण के सर्वेक्षण कराने अथवा उनके विरूद्ध आवश्यकतानुसार वैधिक कार्रवाई पूरी करने के लिए यथेष्ट समय प्राप्त नहीं था ।

आरोप सं0-3- दिनांक 23 मार्च, 2011 को अस्वस्थता की स्थिति के बावजूद इनके द्वारा पूर्व निर्धारित प्रेस सम्मेलन किया गया। आश्चर्यजनक है कि कोई पदाधिकारी इतना स्वस्थ्य हो की प्रेस सम्मेलन जैसे टैक्सींग गतिविधि में भाग ले, लेकिन उपायुक्त स्तर पर समन्वय बैठक में भाग लेने की स्थिति में नहीं हों। इसलिए ऐसी अवधारणा गठित करना उचित है कि ये उपायुक्त के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करना चाहते थे ।

आरोप सं0-4- इनके द्वारा दिनांक 23 अप्रैल, 2011 को ईलाज से लौट कर प्रभार ग्रहण किया, जबकि कर्मचारी 26 अप्रैल, 2011 को हड़ताल पर गये थे। यदि इनके स्वास्थ्य की वैसी स्थिति नहीं थी कि ये हड़ताल को समाप्त करा पाते तो इनको चिकित्सा अवकाश पर ही रहना चाहिए था न कि कार्य पर योगदान करना चाहिए था। स्पष्टतः ये कार्य करने की स्थिति में थे, इसलिए इन्होंने योगदान किया। इनके पास कर्मचारियों के हड़ताल में जाने के पहले तीन दिनों की अवधि उपलब्ध थी। यदि सरकार से कोई आश्वासन न भी प्राप्त कर पाते तो स्थानीय स्तर/उपायुक्त के स्तर पर मध्यस्थता का प्रयास करते। परन्तु इनके द्वारा वैसा नहीं किया गया बल्कि हड़ताल होने दिया गया। इनके द्वारा उपायुक्त के 'गुड ऑफिसेज' के उपयोग हेतु कार्रवाई नहीं की गई। इससे स्पष्ट है कि इनके द्वारा हड़ताल समाप्त कराने का प्रयास नहीं किया गया, जो कर्त्तव्य के प्रति आपकी अकर्मण्यता को परिलक्षित करता है ।

उक्त विवरण के साथ विभागीय पत्रांक- 11351 दिनांक 04 अक्टूबर, 2012 द्वारा श्री सिंह से द्वितीय कारण पृच्छा की गई। इसका जवाब इनके द्वारा पत्रांक- 1541 दिनांक 08 अक्टूबर, 2012 द्वारा समर्पित किया गया है ।

श्री सिंह द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में कोई नया तथ्य समर्पित नहीं किया गया, जिसके आधार पर इसे अप्रमाणित माना जा सके। इसलिए प्रमाणित आरोपों हेतु विभागीय संकल्प सं0- 13712, दिनांक 13 दिसम्बर, 2012 द्वारा इनपर निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया ।

राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड के पत्रांक-2036, दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 के माध्यम से डॉ. सिंह द्वारा उक्त दण्ड के विरूद्ध अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया है, जिसकी समीक्षा के दौरान पाया गया कि विभागीय संचालन पदाधिकारी ने सभी आरोपों में उन्हें दोषी नहीं पाया है। यद्यपि आरोप संख्या-3 के लिए उनकी अस्वस्थता के कारण को आधार बनाया गया है। संचालन पदाधिकारी के मंतव्य पर नगर विभाग विभाग ने भी सहमति व्यक्त की है ।

समीक्षोपरान्त, डॉ. सिंह पर अधिरोपित दण्ड 'निन्दन' को विलोपित करते हुए 'चेतावनी' दी जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रमोद कुमार तिवारी,

सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 262—50 ।